फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारू उर्फ नारूलाल **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 58/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.06.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प बडियार में पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में चुनकी पत्नी तेजा के नाम पर दर्ज हैं। चुनकी पत्नी तेजा की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में चुनकी के कोई वारिस नहीं हैं। वादी चुनकी का गोदीना पुत्र होने के आधार पर चुनकी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज गोदनामा दिनांक 23.10.2018, परिवार राशन कार्ड की प्रति, चुनकी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड की प्रति पेश किये। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री नारू उर्फ नारूलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री जमनागिरी, पीडब्ल्यू 3 श्री भेरा, पीडब्ल्यू 4 श्री भुरा, पीडब्ल्यू 5 श्री भज्जा के शपथ पत्र पेश किये। उक्त दस्तावेज एवं गवाहो से वादी नारू उर्फ नारूलाल को चुनकी उर्फ चुन्नी द्वारा गोद लेने का तथ्य एवं चुनकी उर्फ चुन्नी के वादी नारू उर्फ नारूलाल के अलावा अन्य कोई वारिस होना जाहिर नहीं होता हैं। गवाह भी वादी के गोद जाने की पुष्टि करते हैं। अतः वादी चुनकी उर्फ चुन्नी का गोदीना पुत्र होना जाहिर आता हैं। राजपेरोकार मावली द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा गोदनामें के आधार पर चुनकी उर्फ चुन्नी पत्नी तेजा की भूमि में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 259, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 कुल किता 8 रकबा 0.6879 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 294, 296 किता 2 रकबा 0.6717 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1877/260, 260, 270 किता 3 रकबा 2.4442 हेक्टेयर भूमि में खातेदार चुनकी पत्नी तेजा के बजाय वादी नारू उर्फ नारूलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.06.20 14:09:53 IST Reason: SelfAttested (श्री कान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 58/22 (वाद) GCMS No. : 2022/137

उनवान

1. श्री नारू उर्फ नारूलाल मुतबन्ना तेजा मेघवाल निवासी बडियार तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का बडियार तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 259, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 कुल किता 8 रकबा 0.6879 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 294, 296 किता 2 रकबा 0.6717 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1877/260, 260, 270 किता 3 रकबा 2.4442 हेक्टेयर भूमि में खातेदार चुनकी पत्नी तेजा के बजाय वादी नारू उर्फ नारूलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.06.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:09:53 IST
Reason: SelfAttested